

9/12/2022

पवावली पेशा इंडिया/वकील संशोधन संस्थान लापर  
अंश है। पवावली काफ़ी समय से चाले बाध  
विचारधीन है। आज न्यायालय में तीन-तीन  
बार आवान लगवाया गया। मुला काक अकम  
हाजिरी में खारिज हो चुका है। अलद पवावली  
में अब कार्यवाही का आंचित्य नहीं है। न. 1  
पवावली आंचित्यहीन होकर आंचित्य 0-9, 0-3  
080 के तहत अकम हाजिरी व अकम पेशी  
में एतद्वारा खारिज की जाती है। पवावली  
कॉमल सुधार की जाकर नंबर से कम लेकर  
कार्यवाही कराने है। निर्णय सुने न्यायालय  
में सुनाया जाकर नरे एस्वाकर व न्यायालय  
सुझा से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर  
छांनर लोक (जयपुर)

